सूक्ष्म और लघु उद्योगों की नवाचार क्षमता चुनौतियां और अवसर

–शाश्वत सिंह, हिमानी सचदेवा

भारत सरकार ने सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों की नवाचार क्षमता को विकसित करने के लिए उपयुक्त नीति एवं योजनाएं बनाई हैं। निकट भविष्य में, इन नीतियों और योजनाओं के फलस्वरूप, भारतीय सूक्ष्म और लघु उद्योगों का अपार विकास होगा और एक सुदृढ़ व्यवस्था का सृजन होगा, जो भारत के आर्थिक एवं सामाजिक विकास को एक नई ऊर्जा एवं गति देगा।

किसी देश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में सुदृढ़ औद्योगिक पृष्ठभूमि का विशेष महत्व होता है। औद्योगिक विकास से केवल निर्यात और उपभोग की वस्तुएं ही उपलब्ध नहीं होती, साथ ही साथ रोजगार के नए अवसरों का सृजन भी होता है। अतः औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक है कि बड़े उपक्रमों के साथ–साथ सूक्ष्म और लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए।

सूक्ष्म और लघु उद्यमों के विकास के अनेक लाभ हैं। ऐसे उद्यमों के लगाने में बड़े उद्योगों की तुलना में अपेक्षाकृत कम पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे उद्योग रोजगार के नए अवसर उपलब्ध करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सूक्ष्म और लघु प्रतिष्ठानों की राष्ट्रीय आय और धन का अधिकाधिक समान वितरण करवाने, क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने एवं ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगीकरण में विशेष भूमिका होती है। ऐसे उद्यम बड़े उद्योगों की सहायक इकाईयों के रूप में पूरक भी होते हैं। इस प्रकार के उद्योग युवा पीढ़ी, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय एवं महिलाओं को रोजगार के द्वारा स्वावलंबी बनाने में विशेष योगदान देते हैं और देश के समावेशी विकास का मार्ग प्रशस्त करते हैं। अतः विकासशील देशों, जैसेकि भारत, के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में इनकी भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता।

मौजूदा आंकड़ों के अनुसार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग भारत के विकास में अच्छा योगदान दे रहे हैं, यद्यपि भारतीय अर्थव्यवस्था में इनके योगदान को और बढ़ाया जा सकता है। वित्त मंत्रालय के आर्थिक सर्वेक्षण 2017–18 के अनुसार इन उद्यमों का देश के सकल मूल्यवर्धन में 32 प्रतिशत योगदान रहा है। उसी वर्ष में 633.8 लाख असमायोजित गैर–कृषि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रमों ने 11.10 करोड़ लोगों को सेवायोजन का अवसर प्रदान किया। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में इन उद्योगों का हिस्सा लगभग 31 प्रतिशत है तथा रोजगार के क्षेत्र में इनका योगदान लगभग 60 प्रतिशत है।

इन सकारात्मक आंकड़ों के बावजूद भारत में लघु और सूक्ष्म

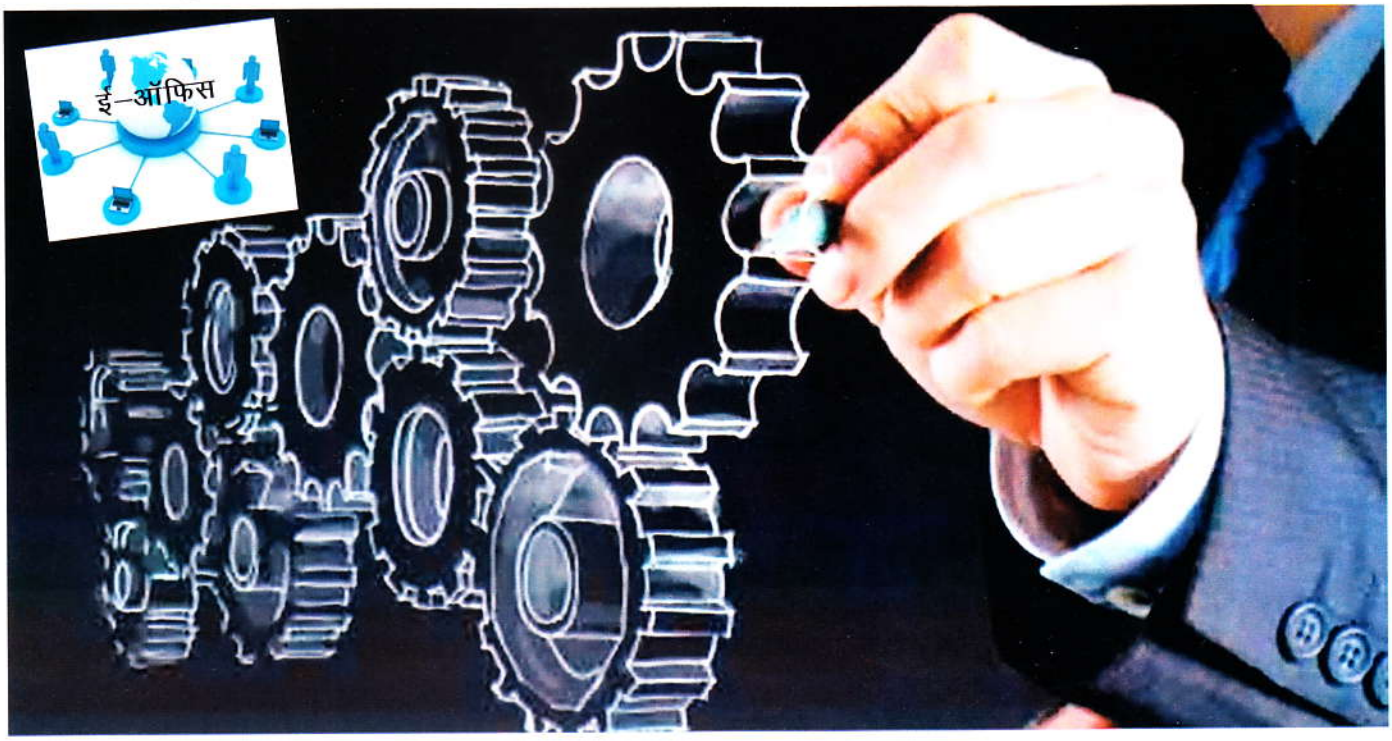

उद्यमों को कई प्रकार के अवरोधों का सामना करना पड़ता है– जैसे जरुरत के समय ऋण मिलने में बाधा, अपर्याप्त बुनियादी ढांचा, प्रौद्योगिक पिछड़ापन, समुचित बाजार–संबंधी सूचना की अनुपलब्धता, कुशल मानव संसाधन का अभाव इत्यादि। इन अवरोधों से जूझने के लिए सुदृढ़ नवाचार के माध्यम से इन उद्यमों की बड़ी सहायता हो सकती है। अतः यह आवश्यक है कि उन चुनौतियों पर विचार किया जाए जो सूक्ष्म और लघु उद्योगों की नवाचार क्षमता को पनपने नहीं देती, ताकि उनके निराकरण के लिए कदम उठाए जा सकें।

मानव संसाधन

कुशल मानव संसाधन नवाचार क्षमता के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। उचित अनुसंधान एवं विकास के लिए वैज्ञानिकों, तकनीकी विशेषज्ञों और अभियंताओं की उपलब्धता जरूरी है। संस्थागत और विपणन संबंधी नवोन्मेष के लिए कुशल प्रबंधकों तथा कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। दुर्भाग्यवश, सूक्ष्म और लघु उद्योग ऐसे विशेषज्ञों एवं प्रबंधकों को वित्तीय तथा अन्य संस्थागत संसाधनों की कमी के कारण नियोजित नहीं कर पाते। उचित मानव संसाधन की कमी के कारण इन प्रतिष्ठानों की नवाचार और प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस चुनौती से उबरने के लिए अपेक्षित है कि सूक्ष्म और लघु उद्योग अपने आंतरिक मानव संसाधन की क्षमता के निर्माण पर बल दें। साथ ही साथ ऐसी व्यवस्था की उपलब्धता भी आवश्यक है जो इन उपक्रमों को जरुरत के अनुसार कुशल प्रबंधक एवं कर्मचारी उपलब्ध करा सके।

वित्तपोषण

संस्थागत नवाचार क्षमता को विकसित करने के लिए प्रचुर पूंजी की आवश्यकता होती है। सूक्ष्म और लघु उद्योग सामान्यतः आंतरिक वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण इतनी अधिक रकम जुटाने में असमर्थ रहते हैं। ऋण मिलने में होने वाली असुविधा अथवा उसके मिलने में लगने वाला समय उनकी समस्याओं को और बढ़ाता है। इस समस्या से निजात पाने के लिए आवश्यक है कि ऐसे कदम उठाए जाएं जिससे नवोन्मेष की लागत में कमी आए और उसके लिए मिलने वाला ऋण भी बिना किसी असुविधा के उपलब्ध हो जाए। यह भी आवश्यक है कि सूक्ष्म और लघु उद्योग वित्तीय रूप से स्वावलंबी हों ताकि वह अपनी–अपनी आंतरिक नवाचार क्षमता का विकास कर सकें।

सूचना

सूक्ष्म और लघु औद्योगिक इकाईयों में नवाचार के समुचित विकास के लिए यह आवश्यक है कि उनका अन्य घरेलू उद्योगों और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों, तकनीकों तथा अर्थव्यवस्थाओं से आदान–प्रदान बना रहे। यह आदान–प्रदान आधुनिक प्रतियोगी वातावरण में इनकी समृद्धि के लिए नितांत आवश्यक है। इनका अभाव सूक्ष्म और लघु उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। इस समस्या के निराकरण के लिए आवश्यक है कि ऐसी व्यवस्था का उन्नयन किया जाए जिससे सभी आवश्यक जानकारियां इन उद्यमों को समय पर उपलब्ध हो जाएं। इस चुनौती से उबरने के लिए यह भी जरूरी है कि सूक्ष्म और लघु उपक्रम तथा बाजार एक मजबूत कड़ी द्वारा जुड़े रहें। इस समस्या से निजात पाने के लिए सरकार और उद्योग–संघों को भी एकजुट होकर काम करने की जरुरत है।

आधारिक संरचना

यथोचित आधारिक संरचना की उपलब्धता और उनका अभिगम अनुसंधान एवं विकास संबंधी नवाचार क्षमता की अभिवृद्धि में निर्णायक भूमिका निभाता है। दुर्भाग्यवश, हमारे देश में अधिकतर सूक्ष्म और लघु प्रतिष्ठानों को मूलभूत अनुसंधान की सुविधा भी नहीं मिल पाती। चूंकि ऐसी अनुसंधानिक इकाइयों के निर्माण की लागत इन उद्यमों के सामर्थ्य से अधिक होती है, इसलिए इस क्षेत्र में सरकार और उद्योग–संघों को साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। आपसी सहयोग से भी लघु एवं सूक्ष्म इकाईयां आधारिक संरचना की कमी को दूर कर सकती हैं।

बाजार

उत्पाद तथा बाजार संबंधी नवोन्मेष के लिए आवश्यक है कि सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों और बाजार की अवस्था– जैसे प्रतिस्पर्धा स्तर, संरक्षणवाद, प्रभुत्व, मांग आदि के बीच उचित समन्वय रहे। अगर उनके उत्पादों की मांग में अनिश्चितता रहेगी तो ऐसे उद्योग नवाचार पर ध्यान नहीं देंगे। उनकी इस प्रवृत्ति का दुष्परिणाम यह होगा कि वह देशीय और वैश्विक–स्तर पर प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे और अंततः बाजार से गायब हो जाएंगे। इसलिए यह आवश्यक है कि सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों की क्षमता इतनी विकसित की जाए कि वो बाजार की संभावनाओं को पहचान सकें और उपयुक्त नवोन्मेष नीति बना सकें।

सरकारी नीति

सूक्ष्म और लघु उद्यमों की नवाचार क्षमता पर सरकारी नीति का दूरगामी प्रभाव पड़ता है। सरकार अपनी नीतियों और कार्यक्रमों से नवाचार के हर पहलू– जैसे तकनीकी तथा वित्तीय अभिगम, मानव संसाधन विकास, जागरूकता और अनुसंधान सुविधाओं की उपलब्धता आदि को प्रभावित कर सकती है। यह कथन अतिशयोक्ति नहीं होगा कि भारत जैसे विकासशील देशों में नवाचार क्षमता के विकास के लिए सरकार एकमात्र सबसे बड़ी भूमिका निभाने की शक्ति रखती है। इसलिए यह अत्यावश्यक है कि सरकार की नीयत और छवि नवोन्मेष को गति प्रदान करने वाली बनी रहे। भारत सरकार ने इस तथ्य की महत्ता को समझते हुए नवाचार क्षमता के विकास के लिए उपयुक्त नीतियां बनायी हैं और कई योजनाओं और कार्यक्रमों का कार्यान्वन भी कर रही है जिससे हमारे देश में नवाचार संस्कृति का प्रचार–प्रसार हो रहा हैं और नए अवसर लगातार उत्पन्न हो रहे हैं। ऐसी योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी आगे दी जा रही है।

एस्पायर योजना

रोजगार एवं उद्यमिता संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 2015 में 'नवाचार, कृषि उद्योग और उद्यमिता के संवर्धन के लिए

योजना' प्रारम्भ की है। इस योजना का मूल उद्देश्य 100 आजीविका और 20 प्रौद्योगिकी संबंधित व्यावसायिक इन्क्यूबेटरों की स्थापना करना है। वर्ष 2018–19 के आम बजट अनुमान में इस योजना के लिए 232 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम

यह कार्यक्रम सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को बढ़ाने के लिए वर्ष 2007–08 से चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य इन उद्यमों में तकनीकी उन्नयन करना है। इस वर्ष के बजट में इस कार्यक्रम के लिए 1006 करोड़ रुपयों का आवंटन किया गया है।

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए साख गारंटी कोष (सीजीटी–एमएसई)

इस कोष की स्थापना का मूल कारण ऐसे सूक्ष्म और लघु उपक्रमों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है जो अपने उद्यमिक विकास के लिए बैंकों से ऋण प्राप्त करने हेतु आनुषंगिक सुरक्षा देने में असमर्थ रहते हैं। इस कोष को 2500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 7500 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इस वृद्धि के साथ–साथ संबंधित योजना में अन्य ढांचागत सुधार भी लाए गए हैं ताकि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के वित्तपोषण में असुविधा न हो और रोजगार के नए अवसर भी जन्म ले सकें।

स्फूर्ति योजना

खादी, ग्राम एवं कॉयर क्षेत्र के परंपरागत उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार ने इस योजना की शुरुआत वर्ष 2005 में की थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य परंपरागत उद्योगों को प्रतिस्पर्धी बनाना तथा ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को बढ़ाना है। वर्ष 2018–19 के बजट अनुमान में इस योजना के लिए 125 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, ताकि परंपरागत एवं ग्रामीण उद्योगों में सेवायोजन के अपार अवसर जन्म ले सकें।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

इस कार्यक्रम की शुरुआत 15 अगस्त, 2008 को किया गया था। इस वर्ष के बजट अनुमान में इस कार्यक्रम के लिए 1800 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इस आवंटन से गैर–कृषि क्षेत्र के लगभग 88000 सूक्ष्म उपक्रमों की स्थापना की जाएगी जिससे स्वरोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और लगभग 7 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा।

सौर चरखा मिशन

गैर–परंपरागत सौर ऊर्जा के दोहन के लिए 27 जून, 2018 को सौर चरखा मिशन की शुरुआत हुई है। इस मिशन में 50 समूह होंगे और प्रत्येक समूह में 400 से 2000 कारीगरों को सेवायोजन का मौका दिया जाएगा। इस मिशन के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, कारीगरों के लिए 550 करोड़ रुपये की अनुवृत्ति प्रदान करेगा।

व्यापार इलेक्ट्रॉनिक प्राप्य छूट प्रणाली

बैंकों को इस प्रणाली व्यवस्था पर लाया जाएगा और इसे वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क से भी जोड़े जाने की घोषणा की गई है। इस प्रणाली के द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग को देरी से होने वाले भुगतान की समस्या से छुटकारा मिलेगा।

अन्य पहलें

- भारत सरकार ने वर्ष 2018–19 के आम बजट में सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्योगों के उचित वित्तपोषण और नवाचार क्षमता की अभिवृद्धि के लिए 3794 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।
- इन उद्योगों को बढ़ाने के वास्ते मुद्रा योजना में भी 3 लाख करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।
- पिछले वित्तीय वर्ष में 250 करोड़ रुपये तक का कारोबार करने वाली कंपनियों के लिए कर की दर घटाकर 25 प्रतिशत कर देने की घोषणा की गई। इस प्रावधान से सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को अतिरिक्त पूंजी उपलब्ध होगी जिसे नवाचार क्षमता के विकास के लिए उपयोग में लाया जा सकता है।
- अत्याधुनिक प्रौद्योगिक केंद्रों की स्थापना के लिए 2018–19 के बजट में 550 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
- खादी अनुदान के तहत बजट में 415 करोड़ रुपये की राशि आवंटित करने की घोषणा की गई है।
- समावेशी विकास के लिए भारत सरकार कृत संकल्प है। इसी उद्देश्य से वर्ष 2018–19 के बजट में अनुसूचित जाति तथा जनजाति से आने वाले कारोबारियों के उद्यम में वृद्धि के लिए एक राष्ट्रीय हब के तहत 93.96 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। विभिन्न योजनाओं के तहत ऐसे पूर्वोत्तर क्षेत्रीय घटकों के लिए भी बजट विविदान में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है।

नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है कि सरकार और उद्योग जगत मिलकर काम करें। वर्ष 2018 के वैश्विक नवोन्मेष सूचकांक में भारत 57वें स्थान पर रहा है। विगत वर्षों की तुलना में हमारा देश निरंतर सुधार की ओर अग्रसर है। इसका प्रमुख कारण यह है कि भारत में अनुसंधान एवं विकास पर व्यय करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। जैसे–जैसे यह प्रवृत्ति हमारे देश में बढ़ेगी वैसे–वैसे नवाचार के नए अवसर भी प्रकट होंगे और उद्योग एवं रोजगार का साधन भी बनेंगे।

भारत सरकार ने सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों की नवाचार क्षमता को विकसित करने के लिए उपयुक्त नीति एवं योजनाएं बनाई हैं। निकट भविष्य में, इन नीतियों और योजनाओं के फलस्वरूप, भारतीय सूक्ष्म और लघु उद्योगों का तेजी से विकास होगा और एक सुदृढ़ व्यवस्था का सृजन होगा, जो भारत के आर्थिक एवं सामाजिक विकास को एक नई ऊर्जा एवं गति देगा।

(लेखक नीति आयोग में युवा पेशेवर हैं। यह लेख उनके व्यक्तिगत विचारों को दर्शाता है।)

ई–मेल : himanisachdeva07@gmail.com